उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/99

पं.सं. 8-E/6 CPC/Advance/08 /EIV.

दिनांक 21/05/2009.

समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Revision of eligibility and amount of Festival advance.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(LL)2008/FA/1 दिनांक 05/05/2009 (आर.बी.ई.सं.67/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI/99 (ACS no. 208) की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05/11/2008 (आर.बी.ई.सं. 168/2008) की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13500/43 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती अवश्य भेजें।

संलग्न/यथोक्त

26/5

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव;एनआरएमयू;12 चेम्सफोर्ड रोड;नयी दिल्ली
3. महासचिव;अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर;नईदिल्ली-24
4. महासचिव;अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

ACSNo. 208
PC.VI No.99
RBE No.67/2009

No. E (LL) 2008/FA/1 **New Delhi, Dated 05.05.2009**

The General Managers & FA & CAOs,
All Indian Railways/PUs.

Sub: - Revision of eligibility and amount of Festival Advance

In suppression of Advance Correction Slip No.203 circulated vide Board's letter of even number dated 5.11.2008 for revising the eligibility limit/amount of Festival Advance, Para 1125 and Para 1125(i) of Indian Railway Establishment Manual Volume I (Revised Edition—1989) may be amended as per the Advance Correction Slip No.208 enclosed as annexure.

The remaining terms and conditions of Para 1125 {i.e. sub para (ii) to (viii)} will remain unchanged.

(A.D.Ramachandran)
Director Estt. (LL)

D.A. As above

उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय
प्राप्ति
- 8 MAY 2009
अपरान्ह
बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 208
पी.सी. VI सं. 99
आर बी सं. 67/2009

सं. ई (एल एल)2004/एफ ए/1

नई दिल्ली, दि. 5.5.09

महाप्रबंधक एवं विसमुलेधि,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय : त्यौहार अग्रिम की पात्रता सीमा और राशि में संशोधन.

त्यौहार अग्रिम की पात्रता सीमा/राशि को संशोधित करने के लिए बोर्ड के दिनांक 5.11.2008 के समसंख्यक पत्र के तहत परिपत्रित अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 203 के अधिक्रमण में, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (संशोधित संस्करण-1989) के पैरा 1125 और पैरा 1125 (i) को अनुबंध के रूप में संलग्न अग्रिम शुद्धि पची सं. 208 के अनुसार संशोधित किया जाए.

पैरा 1125 अर्थात् उप पैरा{(ii) से (viii) तक} के अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

ए.डी.रामचन्द्रन
(ए.डी.रामाचंद्रन)
निदेशक, स्थापना(श्र.वि.)

संलग्न : यथोक्त

E:\Translation Work\E (LL)\E (LL)2008-F A-1.doc

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I

(संशोधित संस्करण- 1989)

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I के पैरा 1125 और 1125 (i) को निम्नानुसार पढ़ा जाए.

1125 - अग्रिम एवं त्यौहार

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 208

पृष्ठ सं. 141 अध्याय- XI

अराजपत्रित रेल सेवकों (उन कारखाना कर्मचारियों सहित जिनका ग्रेड वेतन 4800/-रुपए प्रतिमाह (केवल अड़तालीस सौ रुपए) से अधिक न हो) को महत्वपूर्ण त्यौहारों के अवसर पर निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन अग्रिम प्रदान किया जाए:-

(i) समूह 'ग' रेल सेवकों (जिसमें कुशल और कुशलतम कर्मचारी शामिल हैं) और समूह 'घ' रेल सेवकों (जिसमें अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारी शामिल हैं) को अग्रिम प्रदान किया जाए. अग्रिम की राशि 3,000/-रुपए (केवल तीन हज़ार रुपए) होगी. जब भी संशोधित वेतन बैंड पर मंहगाई भत्ता 50% हो जाए तब हर बार अग्रिम की दरों को भी 25% तक बढ़ा दिया जाए.

(पैरा 1125 के अन्य सभी निबंधन और शर्तें {(अर्थात् -उप पैरा (ii) से (viii) तक)}अपरिवर्तित रहेंगी).

(सं. ई (एल एल) 2008/एफ ए/1, दिनांक 22.4.09)

E:\Translation Work\E (LL)\E (LL)2008-F A-1.doc